न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 411/2022

वाद दायरी दिनांक :– 26.05.2022

1. जीवण उम्र 51 वर्ष
2. बाबुलाल उम्र 47 वर्ष
3. महेन्द्र उम्र 46 वर्ष

पुत्रगण बंशीधर, समस्त जाति मीणा, निवासी बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)

वादीगण

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र हीरालाल,
2. राजू पुत्र लालाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र लालाराम
4. मदन पुत्र लालाराम
5. जुहार राम पुत्र धन्नाराम
6. ऊंकारमल पुत्र धन्नाराम
7. महावीर पुत्र धन्नाराम
8. ऊकार मल पुत्र धन्नाराम
9. रमेश पुत्र धन्नाराम
10. रावेश्याम पुत्र धन्नाराम

मीणा पुत्रगण वंशविर, समस्त जाति कुम्हार, निवासी बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्रिसारू, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रतिवादी

दिनांक 06.02.2025

दावा घोषणार्थ

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता बन्शी पुत्र हनुमान, जाति मीणा, निवासी बिसाऊ ने भूमि पुराना खसरा नं. 188 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा पुख्ता मौजा शेशु जमीन में 5 बीघा 4 विश्वा मौजा शेशु के खातेदार हीरालाल, लालाराम पुत्र नाराणा, जाति कुम्हार निवासी बिसाऊ को विक्रय की थी। उक्त भूमि के हाल खसरा नं. 180 व 181 है। हीरालाल व लालाराम ने अपने हिस्से की जमीन का 1000/– रूपये में विक्रय पत्र दिनांक 28.12.1969 को उप पंजीयक झुन्झुनू के ऑफिस में रजिस्ट्री करवा दी थी। तब से वादीगण के पिता का 1969 से विक्रय पत्र में खसरा नं. 188 के पूर्वी भाग पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण के पिता ने ही खसरा नं. 188 तादादी 5 बीघा 14 बिश्वा मौजा शेशु की जमीन पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।वर्ष 2005 में सैटलमेन्ट के समय नया पुराना नम्बर हो गया है जिसका मिलान क्षेत्रफल में खसरा नं. 181, 180 दर्ज हो गये। वादीगण के पिता के उक्त जमीन के पूर्वी दिशा में 5 बीघा 14 बिश्वा जमीन हिस्से में आयी है। वादी व वादीगण के स्वर्गीय पिता बंशीधर ने जमीन पर कब्जा काश्त कर रखा है। वादीगण के पिता ने जमीन का लगान भी जमाकरवाया है। उक्त जमीन पर पहले वादीगण के पिता व वादीगण के पिता की मृत्यु उपरान्त वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।उक्त भूमि वादीगण के पिता की क्रयशुदा भूमि रही है। जिस पर वादीगण का पिता अपने जीवनकाल में कब्जा काश्त रहा है व वादीगण के पिता की मृत्यु उपरान्त वादीगण का कब्जा काश्त चला

आ रहा है। उक्तानुसार कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण ने कभी कोई ऐतराज नही किया है, ना ही प्रतिवादीगण को वादीगण के पिता व वादीगण के कब्जे काश्त बाबत रहा है।राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 42 के तहत कोई रजिस्ट्री करवाने की पाबन्दी थी। अब धारा 42 को राजस्थान सरकार ने खत्म कर दिया है।दिंनाक 15.08.2021 को वादीगण ने तहसीलदार मलसीसर में रजिस्ट्री का नामान्तकरण तस्दीक करवाने के लिये कहने पर तहसीलदार मलसीसर द्वारा इन्कार करने के रोज वादकारण पैदा हुआ है। इस कारण वादीगण को दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। सिद्धीः–वादपत्र की धारा 01 में वर्णित भूमि का इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये कोर्ट नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 एवं 07 लगायत 10 की बाद तामिल के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा न ही कोई उजर ऐतराज पेश नहीं किया । इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी न0 06 ने इकबालिया जबाब दावा पेश किया ।

प्रतिवादी न0 01 लगायत 05 एवं 07 लगायत 10 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल लायी जा चुकी है अतः वाद में तनकी (ISSUES) कायम करने की आवश्यकता प्रतित नहीं हुई।

वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेत प्रर्दश–1 विकय पत्र28.11.1967 पेश किये गये।

विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से भूमि वाके ग्राम सेसु के ख.न. 180 रकबा 0.08 हैक्टर ख. न. 181 रकबा 1.36 हेक्टर भूमि में विकय पत्र के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

विधि में भूमि की धोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा धारा 88 में अधिकारों की धोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में वादी के पिता बन्सी पुत्र हनुमान द्वारा प्रतिवादी न0 01 लगायत 04 के पिता से जरिये विकय पत्र दिनांकित 28.11.1967 से कय किया जाना साबित है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सेसु ख.न. 180 रकबा 0.08 हैक्टर ख. न. 181 रकबा 1.36 हेक्टर भूमि में विकय पत्र दिनांकित 28.11.1967 के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में लालाराम पुत्र नाराणा एवं हीराराम पुत्र नाराणा का नाम हजफ कर उनके हजफ हिस्से के में वादी गण 01 लगायत 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ एव स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 411/2022 पुराना 76/22 जीवण बनाम ताराचन्द वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 13.02.2025 के अनुसार वाद वादी से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सेसु ख.न. 180 रकबा 0.08 हैक्टर ख. न. 181 रकबा 1.36 हेक्टर भूमि में विक्रय पत्र दिनांकित 28.11. 1967 के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074—77 में लालाराम पुत्र नाराणा एवं हीराराम पुत्र नाराणा का नाम हजफ कर उनके हजफ हिस्से के में वादी गण 01 लगायत 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.02.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा